खण्ड-214, अंक-1
सोमवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1882
(25 जुलाई, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २५ जुलाई, १९६०

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मण्डल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बजे सभा-मण्डप, लखनऊ में पधारे।

विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित--३७८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जरीर जाफरी, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इस्लाफा हुसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीर म गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अग्निहोत्री, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लाहुरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारात चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रताप भान प्रकाश सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्र
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ल प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राज राम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उन्निथाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद घिमिरे, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव बादम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री

सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे।

राज्य विधान-मण्डल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, तथा विधान-मंडल के सदस्यगण,

आज आपको पहली बार सम्बोधित करने का मुझे जो अवसर मिला है उसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। इस अवसर की प्रतीक्षा मैं उसी समय से उत्सुकतापूर्वक कर रहा था, जबकि यह अन्तिम रूप से निर्णय हो गया कि मैं इस राज्य का भार उसके प्रधान के रूप में ग्रहण करूं। मैं मानता हूं कि मुझे यहां आये थोड़ा ही समय हुआ है और अभी मुझे इस राज्य की जनता के निकट सम्पर्क में आने और व्यक्तिगत रूप से यहां के कार्यकलापों को देखने तथा उनकी जानकारी प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। फिर भी, इस राज्य में मैंने जो कुछ देखा और जो जानकारी प्राप्त की उससे मेरी यह निश्चित धारणा हो गई है कि इस राज्य ने हमारे अनुभवी राजनीतिज्ञ और योग्य प्रशासक पं० गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में, और अब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डा० सम्पूर्णानन्द के---जिनकी बौद्धिक तथा प्रशासकीय क्षमतायें सुविदित हैं---कुशल संचालन में महान प्रगति की है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा ध्यान स्वभावतः दिवंगता श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री होमी मोदी, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा श्री वराहगिरि वेंकटगिरि ऐसे यशस्वी पूर्वाधिकारियों की ओर जाता है, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल हुआ। इन महान् आत्माओं ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के नेताओं के रूप में ख्याति प्राप्त की। इन सब ने इस राज्य की उन्नति एवं समृद्धि में योगदान दिया। मैं आशा करता हूं कि उनके चरण-चिह्नों पर चलते हुए इस राज्य के निवासियों की अपनी योग्यतानुसार अधिकतम सेवा कर सकूंगा।

प्रगति की ओर अग्रसर होने में हमारे सामने ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब हमें रुक कर यह सोचना पड़ता है कि क्या मानव आणविक युद्ध की विभाषिकाओं से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा और क्या वह उन प्रयत्नों का लाभ उठा सकेगा जो सामाजिक कार्यकर्ता तथा वैज्ञानिक मानव-जीवन को अधिक सुखद और आनन्दमय बनाने के लिये कर रहे हैं। हम आज ऐसी ही स्थिति में हैं और मैं समझता हूं कि वह आपके विचारों को भी समान रूप से प्रभावित कर रही होगी।

हम द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना को मार्च, १९६१ तक सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिये तथा और भी अधिक महत्वाकांक्षी तृतीय पंचवर्षीय आयोजना को तैयार करने के लिये जिन अत्यन्त दुस्साध्य और कठिन परिस्थितियों में परिश्रम कर रहे हैं वे भलीभांति विदित हैं । आप, जनता के प्रतिनिधियों की हैसियत से और अभीष्ट ढंग पर देश के पुनर्निर्माण में आवश्यक रूप में सम्बद्ध होने के कारण, सरकार के विकास-सम्बन्धी अथवा अन्य प्रकार के विभिन्न कार्य-कलापों से पूर्णतया परिचित हैं । पिछले बजट सत्र में मेरे वित्त मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण से, बजट पर हुई चर्चा से और समय-समय पर आपको दिये गये साहित्य से, तथा विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकों के दौरान में, आपको यह बात पहले ही काफी हद तक मालूम हो चुकी होगी कि इस राज्य ने कितनी प्रगति की है और मेरी सरकार आगे क्या-क्या कार्य करना चाहती है । इन सब बातों को दोहराकर मैं आपका अधिक समय लेना उचित नहीं समझता । अतएव मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर सरकारी नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने तथा आपसे उन विधायनों का उल्लेख करने तक ही अपना भाषण सीमित रखना चाहूंगा जिन पर विचार करने और जिन्हें पारित करने की आपसे इस सत्र में अपेक्षा की जा सकती है ।

यह द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का अन्तिम वर्ष है और मेरी सरकार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कठिन परिश्रम कर रही है । वर्ष १९५९ के प्रारम्भ में तृतीय पंचवर्षीय आयोजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया था । अनेक कार्यकारी वर्ग (Working Groups) संगठित किये गये थे, जिनमें प्राविधिक व्यक्ति, विशेषज्ञ, विधान-मंडल के सदस्य तथा सरकार के अधिकारी सम्मिलित थे । इन वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों पर विचार किया गया है और इस राज्य के लिये ६०० करोड़ रुपये से अधिक लागत की तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का अस्थायी प्रालेख तैयार किया जा रहा है । आपको इस पर विचार करने और इसमें अपना बहुमूल्य योगदान करने का अवसर प्राप्त होगा, किन्तु इस समय मैं केवल उन मूल सिद्धांतों का उल्लेख करूंगा जिनको दृष्टि में रखकर तृतीय पंचवर्षीय आयोजना तैयार की जा रही है । आयोजना में अधिकतर इस बात पर जोर दिया जायगा कि कृषि-क्षेत्र का तेजी से प्रसार हो, विद्युत् शक्ति के क्षेत्र की कमी को दूर किया जाय और औद्योगिक विकास का कार्य प्रारम्भ किया जाय । ग्राम्य स्तर पर स्थानीय आयोजनाएं बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है और अधिकांश गांव सभाओं ने कृषि तथा सहकारिता के तथा जनशक्ति उपलब्ध कराने के क्षेत्रों में अपनी तृतीय आयोजनाओं की रूपरेखाएं तैयार कर ली हैं । अब खंड तथा जिला स्तरों पर इनका समन्वय तथा इनकी अनुपूर्ति क्रमशः खंड विकास समितियों तथा अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा की जायगी और अन्ततः ये राज्य आयोजना का अंग बन जायंगी । स्थानीय आयोजनाओं पर विचार करने के लिये डिवीजनों के आयुक्तों द्वारा संसद्-सदस्यों और हमारे विधान मंडल के सदस्यों के प्रभागीय सम्मेलन (डिवीजनल कांफ्रेस) किये जा चुके हैं और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उन पर पूर्णरूप से विचार किया जा रहा है । आशा की जाती है कि तृतीय आयोजना प्रत्येक अर्थ में जन-आयोजना होगी और जनता उत्साहपूर्वक उसमें सहयोग करेगी और भाग लेगी । साथ ही यह बात भी स्पष्टतया समझ ली जानी चाहिये कि इतनी बड़ी आयोजना के लिये समस्त संभव साधनों से धन प्राप्त करने के हेतु भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा और लोगों को इस आशा से कि भविष्य में उनकी स्थिति और अच्छी हो जायगी, अपनी वर्तमान आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ेगी । मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस सम्बन्ध में मेरी सरकार को अधिक से अधिक सहयोग देंगे ।

इस समय सामुदायिक विकास खंडों का प्रसार इस राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के ५८.५ प्रतिशत भाग में हो चुका है और ग्रामीण जन-संख्या का ५९.४ प्रतिशत इनके अन्तर्गत आता है । यद्यपि सामुदायिक विकास आन्दोलन का सम्बन्ध ग्राम्य जीवन के सभी पहलुओं से है, तथापि मेरी सरकार कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये ग्रामीण समुदायों के संगठन को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देती रही है । प्रत्येक खंड विकास-समिति तथा प्रत्येक पंचायत द्वारा कृषि एवं उत्पादन उप-समितियां

तथा कल्याण उप–समितियां बनायी गई हैं, और प्रत्येक खंड तथा गांव में उत्पादन एवं कल्याण आयोजनायें तैयार करने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। खंड विकास कर्मचारियों की सहायता से वे ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक कृषक परिवार के लिये एक कृषि–सम्बन्धी कार्य की आयोजना तैयार करने का प्रयत्न कर रही हैं और साथ ही उसे इस बात के लिये राजी कर रही हैं कि वह इस आयोजना के कम से कम उस अंश को कार्यान्वित करे, जिसके लिये बाहरी सहायता की आवश्यकता न हो। खंड–विकास समितियों के सदस्यों तथा पंचायतों की कृषि तथा कल्याण उप-समितियों के सदस्यों के लिये विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। गत वर्ष संगठित की गई १०,००० सेवा सहकारी समितियों ने सप्लाई का, विशेषत: उर्वरकों के वितरण का, कार्य आरम्भ कर दिया है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई के केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी है। चालू वित्तीय वर्ष में ५,००० नई समितियां संगठित करने का विचार है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यापक किन्तु शांतिपूर्ण क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

मेरे पूर्वाधिकारी ने गतवर्ष जुलाई में आपको सम्बोधित करते समय सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में सरकारी नीतियों के कार्यान्वय में हुई प्रगति का उल्लेख किया था। अत: सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत हमारी जनता की उन्नति से सम्बन्धित प्राय: प्रत्येक प्रकार का विकास–कार्य आ गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निष्पादन में सहकारी अभिकरणों पर अभी हाल ही में और अधिक जोर दिया गया है। सेवा सहकारी समितियों के संगठन के लिये जो लक्ष्य नियत किया गया था उससे हम आगे बढ़ गये हैं। ये समितियां न केवल अपने कृषक सदस्यों को ऋण ही देंगी, वरन् उनकी उत्पादन आयोजनायें भी तैयार करेंगी; इन आयोजनाओं को पूरा करने के लिये विभिन्न साधनों की व्यवस्था करेंगी और इस प्रकार सदस्यों को अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने में समर्थ करेंगी। इसके अतिरिक्त क्रय-विक्रय समितियों, सहकारी कृषि समितियों, प्रारंभिक ग्राम समितियों, हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों इत्यादि तथा गोदाम निगम (Warehousing Corporation) जैसी विभिन्न अन्य सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों में वृद्धि हुई है। सहकारिता का प्रयोग कृषि–उपज की वस्तु–प्रक्रिया (processing) के लिये किया गया है। राज्य भूमि–बंधक बैंक (State Land Mortgage Bank) खोला गया है, जो राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में खोली जाने वाली अपनी विभिन्न शाखाओं के द्वारा कार्य करेगा। इन सभी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप न केवल ग्राम समाज के ही, वरन् राज्य की समस्त जनता के जीवन में धीरे–धीरे, किन्तु स्थिर रूप से, एक नये युग का आविर्भाव हो रहा है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि यह राज्य, सहकारिता सम्बन्धी कार्य की कई शाखाओं में अब अग्रणी समझा जाता है। इस राज्य ने अपने सहकारी बैंकों के बल पर और राज्य सरकार की किसी प्रत्याभूति (guarantee) के बिना ही रिजर्व बैंक आफ इंडिया से रियायती आधार पर अल्पकालीन ऋण के रूप में लगभग ९ करोड़ रुपये की धनराशि ली है। कुल अदत्त धनराशियों के अनुपात में बीतकाल धनराशियों (overdues) का प्रतिशत अब काफी घट गया है और वह अखिल भारतीय औसतों से काफी कम है। अधिकांश जिलों में पूरी संख्या में ग्रामीण प्रारम्भिक समितियां स्थापित हो गई हैं और चालू वर्ष के अन्त तक लगभग ५० प्रतिशत कृषक परिवार इस सहकारिता संगठन में सम्मिलित हो जायंगे। इस राज्य में बीज तथा उर्वरक की सम्पूर्ति करने के लिये सहकारिता के आधार पर संस्थायें स्थापित कर दी गई हैं। सम्पूर्ण देश में केवल यही एक ऐसा राज्य है जहां कि ऋण तथा क्रय–विक्रय में सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करके कृषि उपज की क्रय–विक्रय–व्यवस्था सफलतापूर्वक संगठित की गई है।

नई परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और मेरी सरकार की नई सहकारिता नीति के कार्यान्वय में बाधक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से पिछले सत्र में आपके समक्ष एक नया विधेयक लाने का विचार था। किन्तु प्रारंभिक कार्यवाहियां समय पर पूरी न हो सकने के कारण यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अब इस विधेयक को वर्तमान सत्र में लाने का विचार है।

बढ़ती हुई जन-संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने और खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना परम आवश्यक है । इसीलिये पहले की ही भांति अब भी कृषि को अधिकतम महत्व दिया जा रहा है । द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत १५४ लाख टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन के अखिल भारतीय लक्ष्य में से इस राज्य के लिये २४ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इस लक्ष्य को विभिन्न सिंचाई प्रायोजनाओं, उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा खादों, उन्नत औजारों आदि के प्रयोग द्वारा प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है, यद्यपि इसमें पूर्ण सफलता अनुकूल मौसम पर निर्भर होगी । असरकारी व्यक्तियों के सहयोग से प्रायः नियमित रूप से चलाये जा रहे खरीफ तथा रबी अभियानों से भी कृषि उत्पादन बढ़ाने में सफलता मिली है ।

मेरी सरकार जूट, तिलहन, कपास, फल, सब्जी आदि वाणिज्यिक तथा सहायक फसलों की उपज बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रही है । यह संतोष की बात है कि वर्ष १९५९--६० में जूट तथा तिलहन का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ, किन्तु दुर्भाग्यवश मौसम की विरुद्ध परिस्थितियों तथा कपास के अलाभकर मूल्यों के कारण उसका उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ । सरकार कपास का उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है ।

आप जानते ही हैं कि हमारा राज्य कृषि-प्रधान राज्य है और उसकी अर्थ-व्यवस्था में सिंचाई का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । इसी कारण सिंचाई को प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही पंचवर्षीय आयोजनाओं में यथोचित प्राथमिकता दी गई । सरकार द्वारा अब तक चलाई गई विभिन्न आयोजनाओं के कारण--जिनमें सिंचाई की छोटी योजनायें भी सम्मिलित हैं--मार्च, १९६१ तक लगभग १२१ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होने लगने की सम्भावना है । कई स्थानों पर बाढ़ रोकने वाले निर्माण तथा बांध बनाने और गत वर्ष एक जलोत्सारण सर्किल खोलने के अतिरिक्त ४,००० मील लम्बी नालियां बनाने की एक महायोजना पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे लगभग ८ लाख एकड़ क्षेत्र पानी भर जाने से बच सके ।

हमारे जैसे कृषि-प्रधान राज्य के लिये पशुधन के विकास का बड़ा महत्व है । इस विकास के लिये जो आधारभूत उपाय किये गये हैं, वे हैं--उन्नत तथा अच्छे किस्म के नर पशुओं की सहायता से प्रजनन के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना, जरूरतमन्द क्षेत्रों में अतिरिक्त पशु चिकित्सा की व्यवस्था करना तथा सांसर्गिक रोगों, विशेषतः पशुमहामारी (रिंडरपेस्ट) से मवेशियों को सामूहिक रूप से सुरक्षित करने के लिये विशेष आन्दोलन चलाना है । इस सम्बन्ध में अधिकांश कार्य केन्द्र ग्राम योजनाओं (Key-Village Schemes) के द्वारा किये जा रहे हैं । भेड़ तथा ऊन की उन्नति के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है । इस क्षेत्र की मुख्य सफलता यह है कि पशुलोक तथा सहायक पशु प्रजनन क्षेत्रों (फार्मों) में विदेशी नस्लों की भेड़ें यहां की जलवायु में रहने की अभ्यस्त बना दी गई हैं । नीदरलैण्ड सरकार की सहायता से बख्शी के तालाब में एक सर्वांगपूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है, जो इस क्षेत्र की एक और उल्लेखनीय सफलता कही जा सकती है । यह केन्द्र देश भर के शिक्षार्थियों को मृत पशुओं की खाल उतारने, उसका रक्षण करने, पशु-शव का उपयोग करने, चमड़ा कमाने तथा जूते आदि बनाने में प्रशिक्षण देने के लिये खोला गया है ।

मछली एक महत्वपूर्ण पौष्टिक तथा सहायक खाद्य पदार्थ है । अतः मेरी सरकार मत्स्य संवर्धन की उन्नति की दिशा में पूर्ववत् प्रयास करती रही है । तालाबों तथा मीनाशयों की उन्नति करने, निजी मत्स्यपालकों को रियायती दरों पर छोटी मछलियां (fingerlings) देने, महत्वपूर्ण स्थानों पर शीत संग्रहागारों की व्यवस्था करने, मछली की दूकानें खोलने तथा विभागीय जलाशयों में मछलियों के संग्रह पर जोर दिया गया था । इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली दिन प्रति दिन की समस्याओं के सम्बन्ध में शोध कार्य करने के लिये मछली फार्म भी स्थापित किये जा रहे हैं । मछुओं की सहकारी समितियां बनायी गई हैं और बनायी जा रही हैं, जिससे कि मछुवे

स्थिरतापूर्वक अपना व्यवसाय करें और उन्हें उससे लाभ हो । यह आशा की जाती है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप द्वितीय आयोजना की अवधि समाप्त होने के पूर्व ५ करोड़ तक छोटी मछलियां तथा मछलियों के बच्चे इकट्ठे हो जायंगे ।

१९५९-६० में रबी के खाद्यान्नों के, विशेषतः गेहूँ के, बाजार में कम आने तथा राज्य के कुछ भागों में सूखा पड़ने के कारण खरीफ की फसलों को क्षति पहुंचने जैसे कुछ कारणों से खाद्यस्थिति खराब हो गई थी । किन्तु पहले से अपनाये गये विभिन्न विनियामक प्रयत्नों को जारी रखने, आपत्ति को रोकने के लिये खाद्यान्नों का संग्रह बनाये रखने के निमित्त उगाही की प्रणाली द्वारा गेहूँ तथा चावल खरीदने, और सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से बड़े परिमाण में खाद्यान्न तथा गेहूं के पदार्थ देने से मूल्य स्तर को स्थिर रखने में पर्याप्त सहायता मिली । जनवरी से मार्च, १९६० तक की अन्न की कमी की अवधि में भी खाद्यान्नों के मूल्य सामान्य ही रहे और तब से उनमें केवल सामयिक कमी ही हुई है । वर्षा आ जाने तथा उसके फलस्वरूप आमद में कमी हो जाने पर मूल्य कुछ बढ़ते हुये प्रतीत हुये । किन्तु फिर भी इस समय गेहूं तथा चावल के भाव गत वर्ष के इस समय के भावों से कम हैं तथा मूल्यों को और बढ़ने से सफलतापूर्वक रोकने के लिये उचित कार्यवाही की गई है । मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये उत्सुक है कि खाद्यान्न बरबाद होने की सम्भावना कम से कम रहे । १५ नवम्बर, १९५९ से उत्तर प्रदेश (अतिथि नियन्त्रण) आदेश, १९५९ के प्रवर्तन से इस दिशा में अच्छा प्रभाव पड़ा है । मेरी सरकार ने किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिये खाद्यान्न का एक बहुत ही संतोषजनक संग्रह भी बना लिया है ।

राज्य की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनसे देश की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, नदी-नालों का बहाव नियमित होता है, भूमि का कटाव रुकता है और बाढ़ का संकट कम होता है । उनसे घरेलू तथा औद्योगिक दोनों ही प्रयोजनों के लिये ईंधन तथा इमारती लकड़ी के रूप में मूल्यवान उपज प्राप्त होती है । तदनुसार हमारी राष्ट्रीय वन-नीति यह है कि पहाड़ों और मैदानों में वन-क्षेत्र को बढ़ा कर क्रमशः ६० और २० प्रतिशत कर दिया जाय । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य के कुल क्षेत्रफल के केवल लगभग १३.५ प्रतिशत क्षेत्र में ही वन हैं । अतएव, विभिन्न विकास प्रायोजनायें इस प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से ही चलाई गई हैं और यह उत्साहवर्द्धक बात है कि इन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों में से प्रायः सभी लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं । वन-क्षेत्र का बढ़ाना इसलिये भी आवश्यक है कि हमारे ग्राम्य क्षेत्रों में ईंधन के लिये लकड़ी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सके, जिससे कि गोबर का प्रयोग ईंधन के रूप में न हो और हमारे खेतों के लिये खाद के रूप में उसका उपयोग किया जा सके । वनों के और अच्छे प्रबन्ध के लिये इस सत्र में एक संशोधन विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत करने का विचार है ।

भूमि-व्यवस्था के विषय में नागर क्षेत्रों तथा जौनसार-भाबर क्षेत्र में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था लागू करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है । कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक विधान-सभा द्वारा पारित हो चुका है और अब वह विधान-परिषद् के विचाराधीन है । भूमि-सम्बन्धी सुधारों की जो प्रक्रिया १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के प्रवर्तन से आरम्भ हुई थी वह उक्त विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर पूरी हो जायगी । जोत-चकबन्दी योजना में भी अच्छी प्रगति हो रही है । मेरी सरकार की नीति के अनुसार भूमि-व्यवस्था के क्षेत्र में दूसरा कदम अधिकतम जोत-सीमा निर्धारित करना है और इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक पहले ही से आपके विचाराधीन है और आपसे यह अपेक्षा की जायगी कि आप इस सत्र में उसे अन्तिम रूप दे दें ।

पिछले साल वर्षा की कमी से खरीफ और रबी की फसलों को पर्याप्त क्षति हुई । कुछ अग्नि-काण्ड भी हुये, जिनके कारण काफी हानि हुई । मेरी सरकार द्वारा तत्काल सहायता

की गई। हम यह आशा करें कि हमारा राज्य इस वर्ष दैवी आपदाओं से बचा रहेगा, फिर भी मेरी सरकार ने किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिये पहले ही से आवश्यक प्रारम्भिक प्रबन्ध कर लिया है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इस राज्य के उद्योगीकरण के लिये किये गये मेरी सरकार के सतत् प्रयत्न फलीभूत हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी सीमेन्ट कारखाना चुर्क, और सरकारी सूक्ष्म यन्त्र कारखाना (Government Precision Instrument Factory) लखनऊ, बहुत ही उत्साहवर्द्धक कार्य कर रहे हैं। यह प्रस्ताव है कि देहरादून जिले के ऋषीकेश नामक स्थान में भारत सरकार को दी गई रूसी सहायता से एक रोगाणुनाशकों (anti-biotics) का कारखाना स्थापित किया जाय। यह आशा की जाती है कि इस राज्य में तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों (fertilizers) की उत्पादक कुछ बड़ी इकाइयां भी स्थापित की जायंगी।

निजी क्षेत्र में कानपुर की दो कपड़े की मिलें बन्द हो जाने के कारण कुछ समय तक हमें चिन्तित रहना पड़ा। मेरे पूर्वाधिकारी ने पिछली जुलाई में आपके समक्ष दिये गये अपने अभिभाषण में यह आशा प्रकट की थी कि मेसर्स एथर्टन वेस्ट ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की कपड़े की मिल, इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेण्ट ऐण्ड रेग्यूलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अधीन नियुक्त एक प्राधिकृत नियन्त्रक की सहायता से उत्पादन कार्य आरम्भ कर देगी। यह आशा फलान्वित हुई और मिल ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। दूसरे कपड़े की मिलने भी हाल ही में उत्पादन आरम्भ कर दिया है। विस्थापित व्यक्तियों को काम देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से देहरादून में एक कताई की मिल भी स्थापित की जा रही है।

मेरे पूर्वाधिकारी ने गत वर्ष ऐसे ही अवसर पर आपके समक्ष भाषण देते हुये निजी क्षेत्र में एक विदेशी फर्म के सहयोग से रिहन्द स्थल पर अमोनियम का एक कारखाना खोलने की योजना का भी उल्लेख किया था। उक्त योजना अब कार्यान्वित हो रही है। बिजली की दरें निश्चित कर दी गई हैं और स्थल का कब्जा कम्पनी को दे दिया गया है तथा उसने इमारतें बनाना प्रारम्भ कर दिया है। इस कारखाने की स्थापना के लिये क्रमिक कार्यक्रम तैयार करने का कार्य भी कम्पनी ने हाथ में ले लिया है।

ग्रामीण तथा लघुस्तरीय उद्योगों के विषय में इस क्षेत्र में चालू योजनाओं की गति को तेज करने के अतिरिक्त यह विचार भी है कि श्रेणी-अंकन योजना (Quality Marking Scheme), चिरस्थ विकास योजना तथा विद्युत् करघा योजना के क्षेत्र का प्रसार किया जाय। जहां तक खादी और ग्रामोद्योगों का सम्बन्ध है, आप उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संघटित करने के लिये उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० अधिनियमित कर चुके हैं। उद्योगों के इस क्षेत्र को बोर्ड को संक्रामित किये जाने के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं। इस राज्य के विभिन्न स्थानों में बड़े अथवा छोटे वर्तमान औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त चालू वर्ष में इस राज्य के लिये पांच और छोटे औद्योगिक आस्थान प्रदिष्ट किये जाने की सम्भावना है।

शक्कर उद्योग इस राज्य का प्रधान उद्योग रहा है। अब उसे दक्षिण के इसी उद्योग से गम्भीर प्रतियोगिता का सामना करना है, जहां कि प्रति एकड़ औसत उपज और उत्पादित शक्कर की मात्रा का प्रतिशत अधिक है और कारखाने अपेक्षाकृत लम्बी अवधि तक पेराई करते हैं। राजकीय-नलकूप, पक्के कुयें और सड़कें बनाये जाने, रहट (पर्शियन ह्वील्स) तथा पम्पिंग सेट लगाने, उर्वरक, खली तथा हरी खाद के बीजों का वितरण करने, और खेतों की कम्पोस्ट खाद तथा कारखानों की कम्पोस्ट खाद तैयार करने के सम्बन्ध में किये गये प्रगाढ़ प्रयत्न तथा शक्कर के कारखानों के क्षेत्रों में ऐसे ही अन्य कार्य अब सफल होने लगे हैं। इस राज्य के गन्ना पेराई के पिछले मौसम में कुल लगभग ३४ करोड़ मन गन्ना पेरा गया तथा लगभग १२.५ लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ, जो कि अब तक का अधिकतम है, इससे उपकर के रूप में १.८ करोड़ रुपये की और उत्पादन शुल्क के रूप में ८ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्रत्याशित है। शक्कर

के उत्पादन में और वृद्धि करने के लिये यह अनिवार्य है कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां गन्ने की अच्छी फसल होती है, कुछ वर्तमान इकाइयों का प्रसार कर के तथा ६ से ८ तक नयी सहकारी इकाइयां अधिष्ठापित करके गन्ना पेरने की क्षमता कम से कम ३.५ लाख टन और बढ़ा दी जाय। मेरी सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है और मैं आशा करता हूं कि यह प्रयत्न सफल होंगे।

संगठित शक्कर उद्योग तथा लघुस्तरीय शक्कर उद्योग का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत बड़ी खांडसारी इकाइयों के संस्थापन को तथा उनके कार्यों को विनियमित कर दिया गया है। गन्ने तथा शक्कर के मूल्यों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने का उपयुक्त सूत्र निकालने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये एक संयुक्त गन्ना-सम्बन्धन-मंत्रणा समिति (ज्वाइन्ट शुगर केन लिंकिंग एडवाइजरी कमेटी) भी स्थापित की गई है। मेरी सरकार आगामी पंचवर्षीय आयोजना में शक्कर उद्योग का पर्याप्त प्रसार करने का विचार कर रही है।

शक्कर के दो सहकारी कारखाने, एक मेरठ जिले के अन्तर्गत बागपत में और दूसरा सहारनपुर जिले के अंतर्गत सरसावा में, स्थापित करने का कार्य हो रहा है और चालू वर्ष के अन्त तक उसके पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में इस राज्य में शक्कर के कुछ अन्य सहकारी कारखाने स्थापित करने के लिये भारत सरकार से लाइसेंस स्वीकृत करने के लिये अनुरोध किया गया है।

शक्कर के मूल्यों में कुछ वृद्धि होने लगी थी। ऊंचे मूल्यों के कारण मई, १९५९ में इस राज्य में शक्कर के वितरण पर नियंत्रण लगाना आवश्यक हो गया था। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि मेरी सरकार ने मूल्यों का बढ़ना रोकने के लिये जो विभिन्न कार्यवाहियां कीं--जिनके अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त अभिकरणों के माध्यम से शक्कर का वितरण भी है--उनके फलस्वरूप भाव नीचे आ गये हैं।

शराब बनाने की तीन नयी भट्ठियां सिवहारा (जिला बिजनौर), मोदीनगर (जिला मेरठ), और पिलखानी (जिला सहारनपुर) में खोली जा चुकी हैं और चौथी भट्ठी मनसूरपुर (जिला मुज़फ्फरनगर में) खोले जाने की संभावना है। चालक मद्यसार (पावर अल्कोहल) की अधिष्ठापित क्षमता (Installed Capacity) १,२५,२५,००० गैलन से बढ़कर २,०४,७४,००० गैलन हो गयी है। चालक मद्यसार का उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। यह मद्यसार अनेक औद्योगिक प्रयोजनाओं के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में काम में लाया जायगा। इस सम्बन्ध में वर्ष १९५९-६० में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि ११,७४,२५२ गैलन मद्यसार का भारत के बाहर निर्यात किया गया, जिससे विदेशी मुद्रा के रूप में देश को लगभग २२ लाख रुपया प्राप्त हुआ।

हम इस राज्य में द्रुतगति से उद्योग एवं कृषि का विकास करने में लगे हुए हैं। अतएव यह स्वाभाविक ही है कि हम विद्युत् शक्ति की वृद्धि की ओर भी अपने प्रयास केन्द्रित करें। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड ने इस दिशा में तत्परतापूर्वक प्रयत्न किया है। गंगा-सारदा ग्रिड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में उक्त बोर्ड ने अपने सभी डीजिल से चलने वाले संयंत्रों से काम लेना आरम्भ कर दिया है और इसके अतिरिक्त सात सं० के० वी० ए० के ८ डीजिल सेट भी मंगाये जा रहे हैं, जिनक चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व गाजियाबाद में अधिष्ठापित किये जाने की आशा है। मऊ तथा गोरखपुर के अन्तरिम बिजलीघरों से लिये गये एक ऊष्मीय संयंत्र (थर्मल प्लाण्ट) को वहां लगा कर रामपुर बिजलीघर की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक शारदा-देवहा प्रदायक (फीडर) के बन कर तैयार हो जाने पर खटीमा बिजलीघर की समस्त उत्पादन-क्षमता में लगभग ४,००० किलोवाट की वृद्धि होने की सम्भावना है। अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज का अतिरिक्त बिजलीघर १९६२ में चाल हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त यमुना-जल-विद्युत् योजना तथा मातातीला प्रायोजना, जिन्हें क्रमशः १९५७

तथा १९५८ में स्थगित कर दिया गया था, पुनः प्रारम्भ की जा रही है। रिहन्द बांध प्रायोजना, जो कि इस राज्य की सब से बड़ी विद्युत् प्रायोजना है, निर्धारित समय-क्रम के अनुसार संतोषजनक रीति से प्रगति कर रही है। कानपुर की अतिरिक्त बिजली की मांग को पूरा करने के लिए वहां १८० एम० डब्ल्यू० का एक ऊष्मीय (थर्मल) बिजलीघर स्थापित करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। १५,००० किलोवाट का एक नया वाष्प-संयंत्र (स्टीम सेट) पहले ही वहां स्थापित किया जा चुका है तथा १५,००० किलोवाट का एक और संयंत्र भी मंगाया जा रहा है।

राज्य के पूर्वी जिलों में, गोरखपुर, सोहावल तथा मऊ के वाष्प स्टेशनों से पहले ही से काफी बिजली उपलब्ध है और रिहन्द प्रायोजना का कार्य पूर्ण हो जाने तथा उसे मऊ और गोरखपुर के वाष्प-स्टेशनों से सम्बद्ध कर दिये जाने पर कई गुनी बिजली और उपलब्ध हो जायगी। ऐसी सम्भावना नहीं है कि इस समस्त विद्युत्-शक्ति का उपयोग स्थानीय रूप से कई वर्षों में भी हो सकेगा। अतएव, मेरी सरकार इलाहाबाद तथा कानपुर को रिहन्द प्रणाली से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि इन स्थानों की विद्युत्-शक्ति की मांग कम से कम कुछ अंश तक तो पूरी की जा सके।

मैं यहां पर एक दूसरे महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करना चाहूंगा जिसे विद्युत् क्षमता बढ़ाने के लिये करने का विचार है और वह यह है कि मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत सिंगरौली में एक बड़ा ऊष्मीय संयंत्र स्थापित किया जाय जिसकी क्षमता अन्त में ४,५०,००० किलोवाट की हो। भारत सरकार तथा सोवियत संघ की सरकार के बीच गत फरवरी में किये गये अतिरिक्त अनुबंध के द्वारा इस बिजलीघर के लिये पचास-पचास हजार किलोवाट के पांच सेटों की व्यवस्था करके कार्य आरम्भ किया गया है। अभी हाल ही में राज्य विद्युत बोर्ड तथा रूसी अधिकारियों के बीच उन शर्तों के सम्बन्ध में एक अनुबंध भी निष्पादित किया गया है जिनके अनुसार प्रारम्भिक कार्य--जिनमें स्थलों आदि का चुनाव भी सम्मिलित है--सम्पादित करने के लिये सोवियत संघ के विशेषज्ञों का प्रथम दल भेजा जायगा। यह आशा है कि उक्त विशेषज्ञों का दल अपना कार्य आरम्भ करने के लिये शीघ्र ही इस राज्य में आ जायगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां पर सौभाग्य से कुछ विद्युत् शक्ति उपलब्ध है, गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में बिजली लगाने के लिये ३१ ग्राम्य कस्बे चुने गये हैं। यह आशा की जाती है कि इससे इन कस्बों में तथा इनके आस-पास बहुत से लघुस्तरीय तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने, रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने और इस प्रकार जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

किसी देश के विकास में संचार-साधनों का जो महत्व होता है उस पर जोर देना मैं आवश्यक नहीं समझता। अतएव स्वभावतः सड़कों और पुलों के विकास की अवहेलना नहीं की गई, वरन् उसे यथोचित पूर्वता दी गई। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक ५५६ मील नई पक्की सड़कें और बन जाने से इस राज्य में लगभग १४,००० मील पक्की सड़कें हो जायेंगी। इस समय जिन महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया जा रहा है उनमें से मुख्य ये हैं--गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर, अयोध्या में सरयू पर, बरेली के पास रामगंगा पर और मथुरा में यमुना पर। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की सीमा पर मुजफ्फरनगर में कैराना के निकट यमुना पर और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर झांसी जिले में नौतघाट पर बेतवा नदी के ऊपर पुलों के निर्माण का कार्य सम्भवतः शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा।

इस राज्य में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवा में, जो १९४७ ई० में केवल ६ बसों से प्रारम्भ की गई थी, मार्च, १९६० के अन्त तक २,९१४ बसें, १६२ ट्रकें और ५० टैक्सियां हो गईं और वे राज्य भर में ७,७३५ मील लम्बे ६०८ मार्गों पर चल रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में २४ नये मार्गों पर भी बसें चलाने का विचार है। बसों के यात्रियों के लिये अधिकाधिक सुख-

सुविधाओं की व्यवस्था करना मेरी सरकार का ध्येय रहा है और तदनुसार बस-स्टेशनों, बस कर्मचारियों के लिए विश्राम-गृहों तथा कर्मशालाओं आदि के निर्माण के निमित्त भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष में २५,८६,५०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है। कानपुर की केन्द्रीय कर्मशाला ने अब गाड़ियों पर पूरे ढांचे अल्मुनियम के बनाने आरम्भ कर दिये हैं, जिससे गाड़ियों का वजन लगभग २० मन कम हो गया है। दुर्घटना की सम्भावनाएं यथा-सम्भव कम करने के लिए सिटी बस सेवाओं में धीरे-धीरे स्वतः खुलने और बन्द होने वाले दरवाजों की व्यवस्था की जा रही है। स्टेशन के प्रभारियों (इंचार्जेज) और टिकट बांटने वाले कर्मचारियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पारितोषिक प्रदान करने की एक नई योजना भी प्रारम्भ कर दी गई है।

मेरी सरकार की श्रम नीति के पूर्वत् दो उद्देश्य हैं अर्थात् औद्योगिक शांति बनाये रखना तथा श्रमिकों के लिए और अधिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना। वास्तव में इस नीति को न्यायोचित रूप में और सच्चाई के साथ कार्यान्वित करने के कारण ही राज्य में औद्योगिक शांति बनाये रखना संभव हो सका है।

सूती वस्त्र उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड (सेंट्रल वेज बोर्ड) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर ३ जुलाई, १९६० को नैनीताल में आयोजित राज्य के त्रिदलीय सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन में राज्य के नियोजकों और श्रमिकों के प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें यह तय हुआ कि कानपुर और सहारनपुर की कपड़े की मिलों के समस्त कर्मचारियों के वेतनों में ६ रु० प्रतिमास की और मोदीनगर के कर्मचारियों के वेतन पर तदर्थ आधार पर ८ रु० प्रतिमास की वृद्धि कर दी जाय। कानपुर से बाहर की अन्य मिलों में मजदूरी बढ़ाने और अभिवोकरण (rationalization) के इस तथा अन्य सम्बद्ध मामले, श्रमिकों और मिल मालिकों के प्रतिनिधियों के एकमत से सरकार के निर्णय के लिये छोड़ दिये गये।

केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड (Central wage Board) की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर शक्कर उद्योग के श्रमिकों की मजदूरियों में भी वृद्धि की गई है। औद्योगिक अशांति के कारणों को दूर करने के लिये वर्ष के दौरान में दूसरी महत्वपूर्ण कार्य वाही यह की गई है कि एक त्रिदलीय मूल्यांकन तथा कार्यान्वय बोर्ड (Tirpartite Evaluation and Implementation Board) स्थापित कर दिया गया है, जिसके सभापति मेरे श्रम विभाग के उपमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त, हाल ही में दो मूल्यांकन समितियां (Evaluation Committees) भी बनाई गई हैं। इनमें एक समिति श्रमिकवर्ग पर कल्याणकारी कार्यवाहियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये और ऐसे मार्ग और उपाय मालूम करने के लिये बनाई गई है जिनके द्वारा इन केन्द्रों को चलाने में स्वयं श्रमिक अधिकाधिक भाग लेने लगें और दूसरी समिति कानपुर में श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने तथा उनमें व्यवसायजन्य तथा संक्रामक रोगों की व्यापकता की जांच करने के लिए बनाई गई है।

तीव्र गति से किये जाने वाले उद्योगीकरण के कारण और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली औद्योगिक सम्बन्ध विषयक विभिन्न जटिल समस्याओं को, जो तेजी के साथ बढ़ रही हैं, सुलझाने की दृष्टि से वर्तमान संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में कई बातों की कमी पाई गई। अतएव मेरी सरकार इस प्रयोजन के लिए नया विधायन करने का विचार कर रही है और वह अधिनियम बन जाने पर वर्तमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा।

किसी कल्याणकारी राज्य का, जैसा कि उसके नाम से ही विदित होता है, यह अर्थ होता है कि उसमें जनता की दशा को सुधारने के लिये कई योजनाएं चलाई जायं और इस बात का ध्यान रखा जाय कि समुचित देखभाल और सहायता की व्यवस्था के अभाव के कारण लोगों को असुविधान हो। अतएव अक्षम और अपचारी (delinquent) व्यक्तियों की सहायता करने के उद्देश्य से मेरी सरकार कई संस्थाएं चला रही है, जैसे दो राजकीय अंध विद्यालय, दो राजकीय

वधिर एवं मूक विद्यालय, भिक्षुओं के लिये कर्मगृह (Work House) तथा सुधारात्मक और असुधारात्मक (correctional and non-correctional) संस्थाओं से मुक्त किये गये पुरुषों और महिलाओं के लिए कई उत्तर-अपेक्षालय (after-care homes) और शरणालय। विकास-खंडों में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला-मंगल योजना सम्मिलित कर दी गई है और अनैतिक वातावरण तथा स्थानों से निकाली हुई महिलाओं एवं बालिकाओं के पालन-पोषण तथा पुनर्वासन के लिए पांच रक्षा-गृह स्थापित करने का विचार है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय रक्षक दल युवक कल्याणकारी कार्यवाहियां तथा श्रमदान को प्रोत्साहन देने पर विशेषरूप से ध्यान दे रहा है।

राज्य की हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की निधियों एवं सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से उनके समुचित प्रबन्ध और नियंत्रण के लिये मेरी सरकार पिछले कुछ वर्षों से विधायन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस विषय पर व्यापक अधिनियम बनाने में कुछ समय लगने की संभावना है। अतः मेरी सरकार आप लोगों के समक्ष पहले ही उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० प्रस्तुत कर चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, उक्त विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है और जब समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी तो आप से उस विधेयक को पारित करने की अपेक्षा की जायगी।

उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, १९५१ के कार्यान्वय के लिये जो योजना सितम्बर, १९५६ में आगरा और वाराणसी में प्रयोगात्मक रूप से चालू की गई थी, वह सफल सिद्ध हुई है। हाल ही में आगरा और वाराणसी में से प्रत्येक में एक-एक बाल पथ-प्रदर्शक केन्द्र (Child Guidance Clinic) चालू हो गया है। इन उपचार-गृहों में उन बालकों के मामलों की जिनके सम्बन्ध में यह सूचना मिली हो कि वे अपने माता-पिता या संरक्षकों के नियंत्रण के बाहर हो गये हैं और उन्होंने बुरी आदतें सीख ली हैं, वैज्ञानिक रूप से जांच की जायगी और यह कार्य सम्बन्धित बालकों, उनके घरों अथवा परिवारों को लांछित किये बिना ही किया जायेगा और ऐसे बालकों के माता-पिताओं का उनके सुधार के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन किया जायगा। इन स्थानों में बाल-न्यायालय (Juvenile Courts), अनुमोदित विद्यालय, प्रेक्षण-गृह (Observation Home) आदि जैसी अन्य संस्थायें भी स्थापित करने का विचार है।

मेरी सरकार राज्य के हरिजनों और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये उत्सुक होने के कारण उनके कल्याण और शिक्षा पर पूर्वत् विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न हरिजन-कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले व्यय में तथा हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के लिये छात्र-वृत्तियां देने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई है। भारत सरकार के अनुमोदन से गत वर्ष ५५ लाख रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प-विकसित भूखंडों के विकास की एक योजना तथा ४ लाख रुपए की लागत से नैनीताल जिले के मालधन चौड़ नामक स्थान में हरिजन बस्तियां बसाने की एक अन्य योजना चलाई गई थी। उक्त धनराशियों का कुछ भाग गत वर्ष व्यय किया गया था और शेष धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर लिए जाने की आशा है। गत वर्ष बहराइच, इटावा और मथुरा के जिलों में जन-जातियों के लिये, जो अब अपराधी जातियों (denotified tribes) के रूप में विज्ञापित नहीं रह गई हैं, तीन अतिरिक्त बस्तियां बसायी गईं और चालू वर्ष में उनके लिये कुछ और बस्तियां बसायी जायंगी। आश्रम-प्रणाली के विद्यालय भी स्थापित किये गये हैं तथा चालू वर्ष में ऐसे ही तीन और विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। वह अपना कार्य अब भी कर रही है और यह आशा की जाती है कि उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत किया जायगा।

चिकित्सा की सुविधाएं और जन-स्वास्थ्य जनता की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी सरकार ने उस क्षेत्र में भी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई कमी नहीं की है। कई चिकित्सालय और औषधालय, हरिद्वार में क्षयरोग उपचार-गृह तथा क्षयरोग के जीर्ण रोगियों के लिए एक पृथक्करण केन्द्र खोल कर, औद्योगिक श्रमिकों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रसार करके, नागर और ग्रामीण परिवार-नियोजन केन्द्रों तथा ऐसी ही अन्य योजनाओं की संख्या बढ़ा कर, वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य का सुधार करने में सफल हुई है। मलेरिया-उन्मूलन योजनायें तीव्रतम गति तथा कुशलता से कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप मलेरिया रोग अब बहुत कम हो गया है। और अधिक संख्या में चिकित्सक तथा शल्य-चिकित्सक उपलभ्य कराने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा के विस्तार और विकास के लिये सरकार ने एक कदम यह उठाया है कि आगरा चिकित्सा महाविद्यालय और दन्त-चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ, में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही, मेरी सरकार यह भी अच्छी तरह समझती है कि उसे इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

शिक्षा के क्षेत्र में पहले से आरम्भ की गई योजनाओं को चलाते रहने के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में १,९०० नये जूनियर बेसिक स्कूल खोले जा रहे हैं और ५६ नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुदान-प्राप्त विद्यालयों की सूची में सम्मिलित किये जा रहे हैं। वर्तमान विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के विस्तार तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये स्वीकृत सामान्य अनुदानों के अतिरिक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन के अतिरिक्त विभागों के लिये भी धन की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार हमारी सरकार उपाधि के लिये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम चलाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है और यदि ऐसा करने का निर्णय किया जाता है तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों तथा इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१, में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इस महीने से खुल गया है। कृषि तथा पशु-चिकित्सा के दो महाविद्यालयों में विद्यार्थी प्रविष्ट कर लिये गये हैं, किन्तु कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कृषि अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) तथा औद्योगिक महाविद्यालय का प्रारम्भ आगामी शिक्षा-सत्र के लिये स्थगित कर दिया गया है।

यह सर्वविदित है कि विकास के इस वर्तमान युग में प्राविधिक शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित नई-नई संस्थाएं खोल कर इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है। रुड़की विश्वविद्यालय में, जो इस राज्य की एक अग्रणी संस्था है और जो न केवल इस राज्य की ही वरन् समस्त भारत की सेवा करती रही है, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, विभिन्न शोध-केन्द्र तथा अन्य प्रकार के केन्द्र और पाठ्यक्रम---जैसे बढ़ईगीरी, ढलाईकारी तथा एक से न्यून अश्वशक्ति (Fractional Horse Power) वाले मोटरों के निर्माण के लिये अग्रगामी उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अभिरुचि केन्द्र (Hobby Centres.) तथा उपकरण-योजन कर्मशालाएं (Instrumentation Workshops)---खोले जा रहे हैं और इस प्रकार इस विश्वविद्यालय का उत्तरोत्तर प्रसार हो रहा है। इसके अतिरिक्त १९६१-६२ के शिक्षा वर्ष से इलाहाबाद में संभागीय अभियंत्रण महाविद्यालय (रीजनल इंजीनीयरिंग कालेज) खोलने के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध किया जा रहा है। हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट को, एक विशेषज्ञ समिति के परामर्श से, व्यावहारिक औद्योगिक शोध (Applied Industrial Research) केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। उत्तरी संभाग के लिये भारतीय औद्योगिक संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी) शीघ्र ही कानपुर में अपना कार्य आरम्भ कर देगा, जिसमें वास्तु (सिविल), वैद्युत, यान्त्रिक, रासायनिक, धातुकार्मिक तथा वस्त्र-सम्बन्धी अभियन्त्रण (इन्जीनियरिंग) के विषयों में उपाधि के पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने की सुविधायें उपलभ्य होंगी।

राज्य की जनता को रोजगार दिलाने के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में राज्य के रोजगार कार्यालयों द्वारा जो उपयोगी सेवायें की जा रही हैं, उन पर हम सविशेष दृष्टि लगाये है। रोजगार दिलाने की समस्या एक ऐसी समस्या है जो सरकार द्वारा तेजी से उद्योगीकरण किये जाने तथा रोजगार के लिये अन्य साधन उपलब्ध कराने पर भी बहुत ही गम्भीर बनी हुई है। रोजगार कार्यालयों के कार्य-कलापों का प्रसार करने के साथ-साथ उनका कार्य-क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है, जिससे कि व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन करना और लोगों को रोजगार सम्बन्धी परामर्श देना भी उनके अन्तर्गत आ गया है। इसके अतिरिक्त १ मई, १९६० से एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंजेज कम्पल्सरी नोटीफिकेशन आफ वेकेन्सीज ऐक्ट, १९५९ के प्रवर्तित हो जाने से यह आशा की जाती है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार मिल सकने की सम्भावनाओं का पता लगाने में सुविधा हो जायगी।

शिल्पकार-प्रशिक्षण योजनाओं का और भी प्रसार किया गया है तथा दो और औद्योगिक विद्यालय---एक बलिया में दूसरा श्रीनगर में---खोल दिये जाने से विद्यालयों की संख्या बढ़ कर १५ हो गई है। इनमें २५ अभियन्त्रण-सम्बन्धी और १२ व्यावसायिक धन्धों की शिक्षा प्राप्त करने के लिये ५,९०४ छात्र भर्ती किये जा सकते हैं।

लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अन्तरिम कार्यवाही के रूप में हमारी सरकार ने आपके द्वारा १९५८ में पारित एक अधिनियम के अधीन जिला बोर्डों को भंग करके उनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की है, जिन्हें जिला नियोजन समिति के कृत्य भी सौंपे गये हैं। ये अन्तरिम जिला परिषदें अभी तक कार्य कर रही हैं, क्योंकि उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त जिला परिषद् के निर्माण के लिये कोई अधिनियम बनाना सम्भव नहीं हो सका है। विगत सत्र में आपके समक्ष उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उसे वापस ले लेना पड़ा, क्योंकि उस पर पुनर्विचार करने पर यह प्रकट हुआ कि उससे हमारे अभीष्ट की सिद्धि पूर्ण रूप से नहीं होती थी। प्रतीत यह हुआ कि बहुमत गांव तथा खण्डों के स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में है, जिससे कि सत्ता नीचे के स्तर से आरम्भ हो सके और आधारभूत संस्थाओं को लोकतन्त्रात्मक रूप दिया जा सके। लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की विचारधारा में जो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है उसे कार्य-रूप में परिणत करने के उद्देश्य से हमारी सरकार आपके समक्ष शीघ्र ही एक दूसरा विधेयक---अर्थात् उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०---प्रस्तुत करने का विचार कर रही है। आपसे इस विधेयक को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने की अपेक्षा की जायगी, जिससे कि अगले वर्ष के आरम्भ में ही अन्तरिम जिला परिषदों के स्थान पर प्रस्तावित जिला परिषदें स्थापित हो जायं।

आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन संघटित नगर महापालिकाओं ने राज्य के कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ नगरों में अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। राज्य के अन्य नगरों तथा कस्बों में नगरपालिका बोर्ड और टाउन तथा नोटीफाइड एरिया कमेटियां प्रायः सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं। गांव पंचायतें भी विभिन्न विकास तथा रचनात्मक कार्यों में पूर्ववत् गहरी दिलचस्पी ले रही हैं और उन्होंने कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये रबी तथा खरीफ अभियान में महत्वपूर्ण कार्य किया है। न्याय पंचायतों ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। और अधिक विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि पर्वतीय जिलों को छोड़ कर, राज्य भर में स्थानीय निर्माण-कार्य सम्बन्धी समस्त कार्यक्रम जैसे जलोत्सारण तथा सफाई-सम्बन्धी कार्य, पीने के पानी की सफाई तथा संचार आदि के कार्य गांव पंचायतों द्वारा सम्पन्न किये जायं। इस प्रयोजन के निमित्त गांव पंचायतों को अनुदान देने का प्रस्ताव है, जो प्रारम्भ में प्रायः उनकी जन-संख्या के आधार पर और तत्पश्चात् उनके पिछले वर्ष के वास्तविक कार्य तथा सम्बन्धित वर्ष के कार्य के आधार पर दिये जायेंगे। यह आशा की जाती है कि इससे ग्रामीण जनता को वांछित प्रोत्साहन मिलेगा।

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अब तक के प्रवर्तन से यह ज्ञात हुआ है कि उसे आजकल की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये उसमें मौलिक संशोधन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह निश्चय किया है कि नगरपालिका बोर्डों के कार्याधिकारियों (Executive Officers) की सेवाओं का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय, राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले कुछ अधिकार आयुक्तों को प्रतिनिहित कर दिये जायें, और बोर्डों के सदस्यों तथा अध्यक्षों (प्रेसीडेण्टों) के विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही विषयक उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन कर दिये जायं जिससे कि वे अधिक प्रभावी हो जायं। उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टि में रखकर निकट भविष्य में आपके विचारार्थ एक उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार राज्य की जनता की गृह-संबंधी आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतया जागरूक है और कई गृह व्यवस्था योजनाओं को भारत सरकार की वित्तीय सहायता से या अन्य प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है। ये स्थिति को सुधारने में उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८, जो राज्य के ग्राम्य तथा नगर क्षेत्रों में क्रम विहीन, अनियोजित और अप्राधिकृत निर्माणों को रोकने के लिये बनाया गया था, १२ नगरों में प्रवर्तित कर दिया गया है। इसमें कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ के नगर भी सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (निपातन तथा सुधार) विधेयक, १९६० नामक एक और विधेयक भी आपके विचारार्थ आने वाला है।

लोहा और इस्पात को छोड़ कर, निर्माण सामग्री की स्थिति वर्ष के पूर्वार्द्ध में अच्छी रही। परन्तु रेलवे वैगनों की कमी के कारण ईंटों के भट्ठे के लिये कोयले के चूरे, घरेलू खपत के लिये "साफ्ट कोक" तथा औद्योगिक संस्थाओं के लिये "स्टीम कोल" की सप्लाई की स्थिति पिछले कुछ समय से चिंताजनक बनी हुई है, यद्यपि केन्द्रीय सरकार के इस्पात और खान तथा रेल मन्त्रालयों से हुई वार्ता के परिणामस्वरूप सप्लाई की स्थिति कुछ समय के लिये कुछ हद तक सुधर गई। लखेरी के कारखाने में मशीन के कुछ खराब हो जाने और दादरी के कारखाने में उत्पादन के कम होने के कारण हाल ही में राज्य के कुछ भागों में सीमेंट की सप्लाई में भी कुछ कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप वितरण पर अस्थायी रूप से पुनः नियंत्रण लगाना पड़ा। लोहे और इस्पात के कुछ वर्गों के सामान, जैसे संरचनात्मक सामग्री, सरिये तथा छड़ों की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है, किन्तु प्लेटों (विशेषकर पतले आकार की), चादरों और तारों जैसे सामान की कमी है।

राज्य में दशमिक प्रणाली के बाट तथा माप चालू करने के सम्बन्ध में प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है और यह विचार है कि मेरठ, आगरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद के नगरपालिका क्षेत्रों में १ अक्तूबर, १९६० से दशमिक बाटों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाय। राज्य के शेष भाग में भी दशमिक बाटों के १ अप्रैल, १९६० से प्रयोग के लिये अनुमति दे दी गई है, परन्तु वर्तमान बाटों के प्रयोग की अनुमति भी पूर्वोक्त दिनांक से दो वर्ष तक के लिये दी गई है।

सरकार अभी तक पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों के ३,०१५ परिवारों को उत्तर प्रदेश में बसा चुकी है। उन्हें ऋण के रूप में ५७,१५,८३७ रु० दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में १,००० और परिवारों के आने की आशा है जिन्हें बसाने में लगभग ४८,४९,७०० रु० व्यय होने का अनुमान है।

मेरी सरकार न्यायालयों के विचाराधीन वादों को निबटाने तथा उनके निर्णय में लगने वाले विलम्ब को यथासम्भव कम करने की आवश्यकता के प्रति पूर्णरूप से जागरूक है। वह इस दिशा में पहले ही विभिन्न विधायी तथा प्रशासकीय कार्यवाहियां कर चुकी है। उच्च न्यायालय के कार्य-दिवसों की संख्या वर्ष में २०० से बढ़ा कर २१० कर दी गई है। कार्यपालिका से न्याय-पालिका का पृथक्करण भी ३४ जिलों में निष्पन्न हो गया है और शेष जिलों में यह योजना

आगामी वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में लागू कर दी जायगी। दीवानी न्यायालयों में विलम्ब, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के कारणों की जांच करने के लिये न्यायाधिपति श्री बी० मुकर्जी की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी, वह अपना कार्य कर रही है। उसने काफी कार्य कर लिया है और यह आशा की जाती है कि वह शीघ्र ही एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर दीवानी न्यायालयों के पुनर्संगठन का कार्य भी हाथ में लेने का विचार है।

राज्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण की दिशा में उन्नति करने के दृढ़ निश्चय के कारण उसकी कार्यवाहियों में वृद्धि हुई है और फलतः विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में बनाये गये विधायनों का आकार प्रकार बढ़ गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य की परिवर्तित परिस्थितियों और आधुनिक विधिक धारणाओं की दृष्टि से राज्य के कानूनों का नियतकालिक पुनरीक्षण तथा उनका समेकन, समन्वय और परिष्कार आवश्यक हो गया है। इस स्थिति को ध्यान में रख कर भारत के विधि-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में प्रत्येक राज्य में एक स्थायी विधि आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की है। तदनुसार मेरी सरकार ने राज्य विधि-आयोग की रचना एवं उसके कर्तव्यों और कृत्यों, तथा उसकी कार्य-प्रणाली के प्रश्नों की जांच करने के लिये एक समिति संघटित की थी। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यह सिफारिश की है कि राज्य में इस प्रकार के आयोग की स्थापना की जानी चाहिये और उसे विधिक शोध तथा विधिक सुधार की दो मुख्य शाखाओं से सम्बन्धित कार्य करना चाहिये। इस समय यह विषय मेरी सरकार के विचाराधीन है।

यह बात अत्यन्त उत्साहवर्द्धक है कि पुलिस और जनता का सहयोग दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। अपराधों के उन्मूलन में गांव-सुरक्षा-समितियां बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रही हैं और उन्होंने अनेक अवसरों पर डाकुओं तथा बदमाशों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। इसके बावजूद कि कुछ अवसरों पर उनके आदमी हताहत हुए हैं, उनके उत्साह में कमी नहीं पाई गई है। परिणामस्वरूप राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति समग्रतः से संतोषजनक बनी रही, यद्यपि डाकुओं तथा अन्य व्यक्तियों की आपराधिक कार्यवाहियों के कारण, जो विशेषतः चम्बल घाटी के क्षेत्र में हुई जहां डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही और अधिक करनी पड़ी, हमें कभी-कभी चिन्तित रहना पड़ा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति में विधि और व्यवस्था रखने के लिये मेरी सरकार ने जो विस्तृत तैयारियां कीं उनसे आप परिचित हैं। इस हड़ताल की पृष्ठभूमि या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांगों या उनकी मांगों के औचित्य से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि यह सब ऐसे विषय हैं जो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और उनकी राज्य विधान-मंडल में चर्चा करना शायद उचित न होगा। परन्तु मुझे यह जान कर प्रसन्नता होती है कि विभिन्न कारणों से, जैसे हड़ताल के विरुद्ध जनता की तीव्र भावना, प्रेस की प्रतिकूल प्रतिक्रिया, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सम्बद्ध विभागों द्वारा किये गये वैकल्पिक प्रबन्ध, जनता द्वारा स्वैच्छिक सेवाओं और अन्य प्रकार की सहायता के रूप में दिये गये भारी सहयोग, राज्य सरकार द्वारा विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये की गयी तैयारियों आदि के कारण इस राज्य में प्रारम्भ से ही हड़ताल का जोर बहुत कम रहा और वह केवल थोड़े से ही जिलों में हुई तथा शीघ्र ही--यहां तक कि हड़ताल के औपचारिक रूप से समाप्त किये जाने के पूर्व ही--स्थिति पुनः सामान्य हो गई। मुझे जिस बात से वास्तविक प्रसन्नता हुई है, वह यह है कि सभी केन्द्रीय सरकारी विभाग और मेरी सरकार के विभाग भी निरन्तर इस प्रयत्न में लगे रहे कि इस हड़ताल से जनता को कम से कम असुविधा हो। समस्त केन्द्रीय सरकारी विभागों तथा मेरी सरकार के अधिकारियों ने अत्युत्तम ढंग से परस्पर सहयोग के साथ कार्य किया, जिसके फलस्वरूप स्थिति का योग्यता और दृढ़ता से सामना किया गया।

जैसा कि मेरे पूर्वाधिकारी ने विगत जुलाई में अपने अभिभाषण में आपको बताया था, पुलिस दल और उसके प्रशासन के विविध पहलुओं की जांच करने, तथा पुलिस दल को आधुनिक स्थितियों के लिये अधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से श्री अजित प्रसाद जैन की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये संगठित किया जा चुका है। उक्त आयोग इस समय अपने विचार-विमर्श में संलग्न है और हमें आशा करनी चाहिये कि उससे अच्छे परिणाम निकलेंगे। अम्बर चरखा, हस्तशिल्प, दर्जीगीरी, बढ़ईगीरी तथा कशीदाकारी आदि के प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के द्वारा पुलिस वालों के परिवारों के लिये आय के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिली और उन्हें स्वच्छ उप-जीविका भी प्राप्त हुई।

जैसा कि आप जानते ही हैं, इस राज्य के जेलों में बन्दियों के लिये सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा खेती के आधुनिक तरीकों और कतिपय कुटीर उद्योगों में उन्हें प्रशिक्षण देकर जेलों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कई सुधार किये गये हैं। किन्तु मेरी सरकार ने इस सम्बन्ध में जो एक नया कार्य किया है वह यह है कि उसने राज्य के सभी जेलों में पंचायतें स्थापित कर दी हैं। इन पंचायतों में केवल कैदी ही होते हैं और इनका चुनाव भी स्वयं कैदियों द्वारा ही किया जाता है। वे अनेक कार्यों की देखभाल करती हैं, जिनमें भोजन की व्यवस्था आदि भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार विविध दंड विषयक तथा जेल-सम्बन्धी सुधारों के परिणामों की जांच तथा उनका मूल्यांकन कर रही है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर एक जेल सुधार मूल्यांकन समिति (Jail Reforms Evaluation Committee) बनाई गई है, और उससे यह भी कहा गया है कि वह ऐसे उपायों का सुझाव दे जो जेल-प्रशासन के विविध क्षेत्रों में लागू किये जा सकें, जिससे कि वह सामान्यतया समाज के लिये अधिक लाभप्रद हो तथा विशेषतः बन्दियों के लिये––उनके सुधार और पुनर्वासन में––अधिक सहायक सिद्ध हो।

प्रशासन को अधिक सुचारु रूप से चलाने के निश्चित उद्देश्य से मेरी सरकार विभिन्न उपायों द्वारा सतत् प्रयत्न करती रही है। सरकार के मुख्यालय में स्थापित किया गया संगठन और व्यवस्था डिवीजन (Organization and Method Division) इस दिशा में कुछ कार्य करता रहा है, और अब उसके कर्मचारियों की संख्या और बढ़ा दी गयी है। इस डिवीजन के कुछ अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा संगठित कार्य-अध्ययन (वर्क-स्टडी) में प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों में स्वस्थ भाई-चारे की भावना तथा अधिक सम्पर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी सचिवालय में प्रयोगात्मक रूप में एक कर्मचारि–परिषद् (स्टाफ कौंसिल) स्थापित की गयी है।

यह तो आप जानते ही हैं कि इस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक पृथक डिवीजन के अन्तर्गत ३ नये जिले यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं कि उन क्षेत्रों का विकास अधिक तेजी से हो सके और वहां का प्रशासन अधिक प्रगाढ़ बनाया जा सके। इन नये जिलों के जिलाधीशों को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार दिये गये हैं जिससे कि वे विभिन्न विभागों के विकास कार्य-क्रमों में समन्वय स्थापित करने के कार्य में दल के नेताओं के रूप में कार्य कर सकें। सरकार के स्तर पर भी कार्य-प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। यह आशा की जाती है कि इससे इन दूरवर्ती क्षेत्रों में विकास–योजनायें तेजी से कार्यान्वित करने में सुविधा होगी।

आप को याद होगा कि वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट–भाषण में यह बताया था कि मेरी सरकार लखनऊ में एक प्रारम्भिक सैनिक स्कूल खोलना चाहती है। हमारे मुख्य मंत्री इस बात के लिये उत्सुक हैं कि हमारे देश के सैन्य-बल में उत्तर प्रदेश के निवासियों को पर्याप्त संख्या में कमीशन-युक्त पद प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाय और उन्हीं के मन में उक्त विचार आया था। आप को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि यह योजना अब कार्यान्वित हो गई है और, जैसा कि शुरू में सोचा गया था, यह स्कूल एक आवासिक संस्था के रूप में १५ जुलाई से कार्य करने लगा है। जैसा कि आप ने देखा है, इस स्कूल की स्थापना से सम्बद्ध

सारा कार्य कुछ ही महीनों में पूरा करना पड़ा। प्रतिरक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग से तथा संबद्ध अधिकारियों के कड़े परिश्रम के फलस्वरूप इस संस्था को इतने अल्प समय में चालू कर देना सम्भव हो सका है।

हमारे जैसे देश में, जहां सामान्य शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं हुआ है, जनता को शिक्षित बनाने और उसे सच्ची सूचनायें देते रहने के लिये प्रख्यापन का बड़ा महत्व है। तदनुसार मेरी सरकार इस बात पर बराबर जोर देती रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले सरकार के कार्य-कलापों का प्रख्यापन, प्रचार के विभिन्न साधनों द्वारा, जैसे चलचित्रों के प्रदर्शनों रेडियो द्वारा प्रसारणों, कठपुतली के खेलों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों तथा सूचना केन्द्रों आदि, द्वारा किया जाय। सरकार ने राज्य के ४७ जिलों में किसानों के लिये 'देहाती रेडियो गोष्ठी' के नाम से एक कार्य क्रम चलाया है जिससे कि ग्रामवासियों को इस बात का अवसर मिल जाय कि वे अपनी समस्याओं पर आपस में विचार-विमर्श कर सकें तथा अपने सुझाव सरकार को विचारार्थ भेज सकें।

कुछ वर्ष पूर्व सरकार द्वारा स्थापित किये गये सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक शोध विभाग ने राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन इमारतों की मरम्मत का कार्य हाथ में ले लिया है। राज्य संग्रहालय शीघ्र ही लखनऊ के चिड़ियाघर में एक नव निर्मित भवन में आ जायगा। यह आशा की जाती है कि संग्रहालय के नये कक्ष अगले वर्ष तक बन कर तैयार हो जायंगे और तब उनमें पुरातत्व सम्बन्धी मूल्यवान सामग्रियों के वृहत् संग्रह का प्रदर्शन किया जा सकेगा।

कृत्रिम उपग्रहों के पथ-पर्यवेक्षण का कार्य-क्रम, जो भारत में केवल नैनीताल की वेधशाला को ही सौंपा गया था, बराबर सम्पन्न किया गया। वेधशाला के लिये नये भवनों का निर्माण किया जा रहा है और आगामी वर्ष में उनके पूर्ण हो जाने की संभावना है। एक १५ इंच की परावर्ती दूरबीन (Reflecting Telescope) खरीद ली गयी है और एक इससे भी बड़ी दूरबीन अगले वर्ष प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है।

मैं उन विधायनों का उल्लेख आपके सामने कर चुका हूं जो मेरी सरकार आपके समक्ष वर्तमान सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहती है। इस सत्र में आपके समक्ष, सामान्य वित्तीय कार्य के अतिरिक्त, कतिपय अन्य संशोधक विधेयक भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जैसे यू० पी० शाप्स ऐंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट (संशोधन) विधेयक, १९६०, मोटर वेहिकिल्स (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६०, उत्तर प्रदेश प्राचीन सिक्का प्रतिस्थापन विधेयक, १९६०, यू० पी० जनरल क्लाजेज (संशोधन) विधेयक, १९६०, उत्तर प्रदेश विलीन राज्य विधि (निरसन) विधेयक, १९६०, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६०, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६०, यू० पी० सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०, तथा उत्तर प्रदेश भूमि और भवन कर विधेयक, १९६०।

अब कुछ शब्द मैं सरकारी कर्मचारियों के लिये कहना चाहूंगा। उनको यह याद रखना चाहिये कि उनमें तथा निजी व्यापारिक संस्थाओं के कर्मचारियों में मौलिक अन्तर है। निजी व्यापारिक संस्थाओं में नियोजकों का मुनाफे का उद्देश्य तथा कुछ व्यक्तियों का निजी लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। सरकारी संगठन में ये होते ही नहीं हैं तथा उनका स्थान लोक-सेवा और लोकी-हित ले लेते हैं। अपनी अवस्था पर विचार करते समय सरकारी कर्मचारियों को यह नहीं भुला देना चाहिये कि हमारे बहुत से देशवासी ऐसे हैं जो इन सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा भी कम भाग्यशाली हैं तथा उनकी आवश्यकतायें तथा मांगें अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने योग्य हैं, तथा सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे उस जनता को, जिसकी सेवा के उद्देश्य से ही उनको नौकरियां हैं, कोई असुविधा या हानि हो। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों को इस बात में पूरा विश्वास और निष्ठा रखनी चाहिये कि मेरी सरकार उनकी आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों के विषय में पूर्णतया जागरूक है तथा उसे उनके प्रति सहानुभूति एवं संवेदनशीलता है। साधनों के सीमित होते हुये तथा दायित्वों के बाहुल्य में भी मेरी सरकार बराबर इस बात पर

विचार करती रही है कि वह तथाकथित अल्पवेतन वाले कर्मचारियों के लिये जो कुछ भी कर सकती है, वह करे। आपको याद होगा कि इस वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान में मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों ने यह कहा था कि मेरी सरकार अपने अल्प वेतन वाले कर्मचारियों को उपलब्धियां बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। तदुपरान्त इस प्रश्न पर विचार किया गया और मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि यद्यपि अब भी साधनों की स्थिति असंतोषप्रद है, फिर भी अल्प वेतन वाले कर्मचारियों की आवश्यकता तथा कठिनाइयों को देखते हुये मेरी सरकार कतिपय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुछ वृद्धि करना चाहती है। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि ५०॰ ० मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में साढ़े पांच रु० और दिये जायं तथा ५१ रु० से १०० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर ३५ ० मासिक कर दिया जाय। यह भी निर्णय किया गया है कि १०१ से ४५० रु० तक वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों को, जिनके महंगाई भत्ते में १९५७ या १९५९ में कोई वृद्धि नहीं हुई, ५ रु० मासिक महंगाई भत्ते के रूप में और दिया जाय। मेरी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि महंगाई भत्ते की ये वृद्धियां १ अप्रैल, १९६० से प्रभावी होंगी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में उसी दिनांक से तदनुरूप वृद्धियां की जायेंगी।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आप से, तथा आपके द्वारा इस राज्य की जनता से, अपील करता हूं कि चारों ओर से घुमड़ने वाले संकट के बादलों को देखते हुए हम विभिन्न प्रकार की संकीर्णता के––जातीयता, प्रांतीयता या साम्प्रदायिकता के––प्रवाह में बहने से अपने को बचावें तथा दलबन्दी की दलदल से अलग रहें। यही आज की सबसे बड़ी बुराइयां हैं और राष्ट्र के प्रबलतम शत्रु हैं। अब समय आ गया है जब हम सब अपनी कल्पना के अनुसार देश का निर्माण करने और जनता को, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, समृद्ध और सुखी बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिये परस्पर मिलकर और एक–निष्ठ होकर कार्य करें। मुझे विश्वास है कि आपकी बुद्धि अनुभव और कर्त्तव्यनिष्ठा के सहारे यह राज्य मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित न होते हुये अपनी सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेगा और इस प्रकार सम्पन्न एवं समृद्ध बनेगा। इस कठिन कार्य में ईश्वर आपकी सहायता करे !

जय हिन्द !!

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मंडल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक दिन के २ बजे अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री रामदुलारे मिश्र ने शपथ ग्रहण की।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पठन

श्री अध्यक्ष––अब नियमानुसार श्री राज्यपाल के अभिभाषण का कुछ अंश मैं सदन को पढ़ के सुनाये देता हूं और यह माना जायगा कि मैंने पूरा पढ़ के सुनाया। कम से कम इस साल तो माननीय सदस्यों ने पूरा हिन्दी में सुन ही लिया है। तो उसमें कोई आक्षेप नहीं हो सकता।

"विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति तथा विधान मंडल के सदस्यगण,

आज आप को पहली बार सम्बोधित करने का मुझे जो अवसर मिला है उसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। इस अवसर की प्रतीक्षा मैं उसी समय से उत्सुकतापूर्वक कर रहा था, जबकि यह अंतिम रूप से निर्णय हो गया कि मैं इस राज्य का भार उसके प्रधान के रूप में ग्रहण करूं। मैं मानता हूं कि मुझे यहां आये थोड़ा ही समय हुआ है और अभी मुझे इस राज्य की जनता के निकट सम्पर्क में आने और व्यक्तिगत रूप से यहां के कार्यकलापों को देखने तथा उनकी जानकारी प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है। फिर भी, इस राज्य में मैंने जो कुछ देखा और

[श्री अध्यक्ष]

जो जानकारी प्राप्त की उससे मेरी यह निश्चित धारणा हो गई है कि इस राज्य ने हमारे अनुभवी राजनीतिज्ञ और योग्य प्रशासक पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में, और अब हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जिनकी बौद्धिक तथा प्रशासकीय क्षमतायें सुविदित हैं, कुशल संचालन में महान् प्रगति की है।"

अब कुछ अंतिम भाग भी मैं सुनाये देता हूं—

"आपको याद होगा कि इस वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान में मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों ने यह कहा था कि मेरी सरकार अपने अल्प वेतन वाले कर्मचारियों की उपलब्धियां बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। तदुपरान्त इस प्रश्न पर विचार किया गया और मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि यद्यपि अब भी साधनों की स्थिति असंतोषप्रद है फिर भी अल्पवेतन वाले कर्मचारियों की आवश्यकता तथा कठिनाइयों को देखते हुये मेरी सरकार कतिपय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुछ वृद्धि करना चाहती है। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि ५० रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में साढ़े पांच रुपये और दिये जायं तथा ५१ से १०० रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर ३५ रुपये मासिक कर दिया जाय। यह भी निर्णय किया गया है कि १०१ रुपये से ४५० रुपये तक वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों को जिनके महंगाई भत्ते में १९५७ में या १९५९ में कोई वृद्धि नहीं हुई ५ रुपये मासिक महंगाई भत्ते के रूप में और दिये जायं। मेरी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि महंगाई भत्ते की ये वृद्धियां १ अप्रैल, १९६० से प्रभावी होंगी तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में भी उसी दिनांक से तदनुरूप वृद्धियां की जायंगी।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आप से, तथा आपके द्वारा इस राज्य की जनता से, अपील करता हूं कि चारों ओर से घुमड़ने वाले संकट के बादलों को देखते हुये हम विभिन्न प्रकार की संकीर्णता के—जातीयता, प्रांतीयता या साम्प्रदायिकता के—प्रवाह में बहने से अपने को बचावें तथा दलबन्दी की दलदल से अलग रहें। यही आज की सब से बड़ी बुराइयां हैं और राष्ट्र के प्रबलतम शत्रु हैं। अब समय आ गया है जब हम सब अपनी कल्पना के अनुसार देश का निर्माण करने और जनता को, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, समृद्ध और सुखी बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिये परस्पर मिलकर और एक-निष्ठ होकर कार्य करें। मुझे विश्वास है कि आपकी बुद्धि, अनुभव और कर्त्तव्यनिष्ठा के सहारे यह राज्य मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित न होते हुये अपनी सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेगा और इस प्रकार सम्पन्न एवं समृद्ध बनेगा। इस कठिन कार्य में ईश्वर आपकी सहायता करे! जय हिन्द!!"

इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विनियम*

शिक्षा उप-मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—श्रीमन्, मैं इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा १६—जो में समाविष्ट विषयों के संबंध में बनाये गये एवं शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति संख्या क—१८४२/१५—१६९२—५८ दिनांक २८ मार्च, १९६० के अधीन प्रख्यापित विनियमों को जो उक्त धारा ८ की उपधारा (३) के अनुसार ११ अप्रैल, १९६० को सदन की मेज पर १४ दिन के लिये रखे गये थे, और जिनके सदन की मेज पर रखे जाने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--प्रध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जो से जानना चाहता हूं कि जो चीज सदन की मेज पर रखी गयी है क्या वह माननीय सदस्यों को उपलब्ध कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष--यह तो पहले ही बांट दी गई है। दुबारा रखी जा रही हैं इसलिये कि आपको मौका मिले और आप संशोधन दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश वृहत्-जोतकर नियमावली, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उप मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग की विज्ञप्तियां संख्या २९५७-(१) (स) ५५२-सी-५९, दिनांक १८ फरवरी, १९६०, तथा संख्या यू०ओ० ९५/१-सी-२३-सी-६०, दिनांक २९ फरवरी, १९६०, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो उत्तर प्रदेश वृहत्-जोतकर अधिनियम १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १४ अप्रैल, १९६० को चौदह दिन के लिये सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायत राज्य रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, मैं यू० पी० पंचायत राज्य रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९८१ (प) ३३-२९३-५३, दिनांक १ मार्च, १९६०, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १४ अप्रैल, १९६०, को चौदह दिन के लिये सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५२ की उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उपमन्त्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--मैं सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू०ओ० (३८) आर०जेड० (१) / १-क-१४७४-डी-५८, दिनांक ९ मार्च, १९६०, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक २८ अप्रैल, १९६० को चौदह दिन के लिये सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

यू० पी० पंचायत राज्य रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--मैं यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३८७(प) ३३-१८-(८)/५८, दिनांक २४ मार्च, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू०पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन*

राजस्व उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)--मैं सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ११४५ (आर) जेड०(१) (क) १०५८-५९, दिनांक १६ मार्च, १९६० ई०, संख्या १८०-आर०जेड० (१) (क) ३५०९-५९, दिनांक ३१ मार्च, १९६०, तथा संख्या यू०ओ० / ४११-आर० जेड०(क) २००८ (डी), दिनांक १ जून, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, १९६०पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० फरवरी, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ अप्रैल, १९६० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ११ मई, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का १३-वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १ अप्रैल, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ अप्रैल, १९६० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २५ मई, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सप्ताह का प्रोग्राम क्या है।

श्री अध्यक्ष--यह कार्य-क्रम समाप्त हो जाने के बाद पूछियेगा।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--पहले मैं माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देना चाहता हूं। वैसे तो करीब करीब सब सूचनायें मेरे दफ्तर से भेजी जा चुकी हैं जिनकी कि गिरफ्तारियां हुई थीं लेकिन चार सदस्यों के बारे में अभी तक सूचना नहीं भेजी गई है। एक तो श्री मदन पांडेय हैं, दूसरे श्री गेंदा सिंह हैं। अब चूंकि ये लोग छूटकर यहां आगये हैं तो

---

*छापे नहीं गये।

इनके बारे में सूचना देना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि वे यहां पर मौजूद हैं। शायद यह सूचना बाद को आयेगी कि ये लोग जमानत पर छूटे हैं या किसी प्रकार छूटे हैं। अब ये यहां पर मौजूद हैं तो यह समझ लेना चाहिये कि वे कायदे से ही छूटकर यहां आये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इनके छूटने की सूचना जिलाधीश को आपके पास भेजनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह सूचना आयेगी कि किस कारण से छूटे हैं। मैं बाद में बताऊंगा अभी मेरे पास उनका पत्र पहुंचा नहीं है। इसलिये केवल इनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं देना चाहता हूं।

एक सूचना सीतापुर के जुडीशियल आफिसर, श्री यू०डी० शुक्ल, ने अपने पत्र, दिनांक ९ जुलाई, १९६०, द्वारा यह दी गई है कि श्री अवधेश कुमार सिनहा, सदस्य, विधान सभा, का मुकदमा भारतीय दंड विधान की दफा १४७/३५३ के अन्तर्गत लिया गया। श्री सिनहा पर यह दोष लगाया गया कि उन्होंने बल का प्रयोग करके बलवा किया और पुलिस स्टेशन हरगांव, जिला सीतापुर, के पुलिस कर्मचारियों के कार्य में बाधा डाली। हरगांव गन्ना मिल पर ये पुलिस कर्मचारी स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिये रखे गये थे, जहां डा० अवधेश सिनहा तथा उनकी पार्टी के नेतृत्व में लोग जमा हुये थे और जो गन्ना उत्पादकों को उनकी गाड़ियों सहित गन्ना मिल तक जाने के लिये रोक रखे थे, जिसके कारण रास्ता रुक गया था, हरगांव के सब-इंस्पेक्टर तथा कांस्टेबिल मजमें को हटाने की चेष्टा कर रहे थे किन्तु डा० अवधेश सिनहा तथा छः और व्यक्ति उनके कर्त्तव्य में बाधा डाल रहे थे।

दिनांक २५-३-६० को चार्जशीट प्राप्त हुयी और ७८ दिन मुकदमें की कार्यवाही होने के उपरान्त उक्त मैजिस्ट्रेट ने श्री सिनहा को भारतीय दंड विधान की दफा १४७/३५३ के अन्तर्गत दोषी पाया और इन दोनों दफाओं में उनको १५ दिन के साधारण कारावास की सजा दी। ये सजायें एक साथ लागू होंगी।

दूसरी सूचना लखनऊ के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट, श्री महमूदुलहसन, ने अपने पत्र, दिनांक १३-७-६०, द्वारा यह दी है कि उन्होंने Essential Services Maintenance Ordinance, no. X/1960 की दफा ५ के अन्तर्गत अपना यह कर्त्तव्य समझा कि वह आदेश दें कि श्री झारखंडेराय, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी की जाये। इसके फलस्वरूप दिनांक १३-७-६० को शाम के ६ बजकर १० मिनट पर श्री झारखंडेराय हिरासत में लिये गये और वह इस समय माडल जेल, लखनऊ, में रखे गये हैं।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का पंचम प्रतिवेदन*

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति का सभापति होने की हैसियत से इस समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं इस संबंध में दो शब्द और कहना चाहता हूं और उस ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहता हूं। ऐसा अनुभव में आया है कि बहुत से विभाग समिति के पत्रों का उत्तर देने का भी कष्ट नहीं करते। इस आश्वासन समिति की रिपोर्ट में, अध्यक्ष महोदय, †२२ आश्वासन ऐसे हैं जिनका भिन्नभिन्न विभागों से उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं, और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन भी करूंगा, कि वह इस ओर ध्यान देने की कृपा करें क्योंकि जनतंत्र की सफलता के लिये यह जरूरी है कि इन आश्वासनों के ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय। इसी पर जनहित निर्भर करता है और अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है तो इससे हमारे कार्य पर भी असर पड़ता है।

*छापे नहीं गये।

†२६ जुलाई, १९६० के वक्तव्य के अनुसार रेखांकित भाग निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया---

"उन २२ आश्वासनों के अधूरे उत्तर आये।"

[यादवेन्द्रदत्त दुबे राजा]

एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि जिन लोगों के कारण समिति के इस कार्य में हमें सफलता मिली है उनको मैं धन्यवाद दूं। समिति के जो पदाधिकारी हैं, श्री भोलादत्त उपाध्याय तथा श्री गिरधारी लाल, तथा और जो कर्मचारी हैं जिनके सतत् प्रयास के कारण इतने कम समय में हम इस रिपोर्ट को तैयार करने में सफल हुये हैं और इतना कार्य कर पाये है और जिसकी सफलता उन लोगों की कार्यनिष्ठा तथा कार्य करने की उत्सुकता और उनकी सहानुभूति के कारण हुई है, उनको मैं इस समिति की ओर से तथा अपनी ओर से भी बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी यदि इस संबंध में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इस समय आम तौर से ही वे कुछ कह सकते हैं।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो पता नहीं कि कौन कौन से विभाग हैं जिन्होंने आश्वासन समिति को जवाब देने में कोताही की है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मुझे इस बात के लिये दुख है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा और विभागों का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो आश्वासन हों उनकी पूर्ति की जाय और आश्वासन समिति से जो कुछ पूछा जाय उसका जवाब भी जितनी जल्दी हो सके दिया जाय।

प्रोफेसर कालीप्रसाद के उपकुलपति के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी याचिका के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को सूचित करता हूं कि प्रोफेसर कालीप्रसाद को लखनऊ विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर नियुक्ति के संबंध में श्री गौरीशंकर राय, सदस्य, विधान सभा, द्वारा उपस्थित की गयी, दिनांक १०-३-६० की, याचिका नियमानुकूल नहीं पायी गयी। अतः यह अस्वीकार कर दी गयी है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ छटे भाग के वितरण की मांग

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---महामहिम राज्यपाल के संबोधन की जो पुस्तिका छपी है संभवतः उसमें कोई बात नत्थी करने से रह गयी है। अगर वह भी बंट जाय तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं उसे साइक्लोस्टाइल करा रहा हूं, कल सबको मिल जायगा। आज तो उसका समय नहीं रहेगा। अगर आज तैयार हो जायगा तो हर एक के कमरे में पहुंच जायगा।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये ५ सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी के सीनेट में कार्य करने के लिये उन पांच सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हो गया है, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग (५) के अनुसार विधान सभा के (५) सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें आगरा यूनिवर्सिटी के सीनेट में कार्य करने के लिये उन पांच सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हो गया है, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग (५) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ५ के अनुसार पुनः संगठित किये जाने वाले बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन में कार्य करने के लिये सर्वश्री जगदीशशरण अग्रवाल तथा दीपनारायण-मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, के स्थान पर, जिनका कार्यकाल दिनांक २८ अगस्त, १९६० को समाप्त हो जायगा, विधान सभा के दो सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ५ के अनुसार पुनः संगठित किये जाने वाले बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन में कार्य करने के लिये सर्वश्री जगदीशशरण अग्रवाल तथा दीपनारायणमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, के स्थान पर, जिनका कार्यकाल दिनांक २८ अगस्त, १९६० को समाप्त हो जायगा, विधान सभा के दो सदस्यों का चुनाव करे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं एक चीज जानना चाहता था आपकी आज्ञा से कि आज तक मैंने सुना था, और व्यावहारिक रूप में देखा था, कि चुनाव तभी हुये जब स्थान रिक्त होते हैं। लेकिन इसमें स्थान २८ अगस्त को रिक्त होगा, तो उसका चुनाव अभी करना क्या वैध होगा, क्योंकि वे जगह अभी खाली नहीं हैं, लोग उन पर बने हुये हैं, तो चुनाव अभी कर लेते हैं?

श्री अध्यक्ष---जब आप विधान सभा के सदस्य चुने गये थे तो उस समय क्या आपका स्थान खाली हो गया था या पहले ही हो गया था आपका चुनाव? जरा सोचिये, आपका चुनाव भी तो पहले ही हो गया था ।

(हंसी)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विवादार्थ निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष---श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो विवाद होगा उसके विषय में ३ रोज रखे गये थे। क्या ३ रोज सदस्यगण काफी समझते हैं?

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---५ दिन कम से कम होने चाहियें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष---और कोई प्रस्ताव?

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज मध्याह्न के बाद सदन सवा दो बजे बैठा। मैंने सत्रावसान से पहले सवाल उठाया था कि सदन सवा बजे लंच के लिये उठ कर सवा दो बजे बैठा करे। तो क्या मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो गया और इसीलिये आज सवा दो बजे बैठा अथवा महामहिम राज्यपाल के संबोधन क बाद स्थगन होकर सवा दो बजे बैठा? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपका जो प्रस्ताव था वह नियम समिति के सामने रखा गया लेकिन सरकारी सदस्य ने समिति में कहा कि अभी हमने उसके बारे में अपनी नीति निश्चित नहीं की है । इसलिये उस पर विचार स्थगित किया गया क्योंकि जो प्रस्ताव समिति के पास हो वह सर्वमान्य होना चाहिये ताकि वह यहां सदन में भी पास हो जाय ।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी मीटिंग में वे सरकार का मत समिति के समक्ष रखेंगे । आज जो सवा दो बजे बैठक हुई वह इसलिये हुई कि पहले से यह नहीं मालूम था कि कब तक महामान्य राज्यपाल का भाषण चलेगा, इसका कोई अन्दाजा नहीं था । आम तौर पर जिस दिन राज्यपाल का भाषण होता है उस दिन ज्यादा समय बैठक भी नहीं होती क्योंकि सदस्यों को उस पर विचार करने का मौका दिया जाता है ।

तो श्री गौरीशंकर राय का ५ दिन के लिये सुझाव था ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, आज तक जितने भाषण राज्यपाल महोदय के हुये उनको देखते हुये मैं समझता हूं कि इस भाषण के साथ न्याय तभी हो सकेगा जबकि श्री गौरीशंकर राय जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय । नियमों में जो तीन दिन का प्राविजन है उसका तो हम किसी भी तरह स्वागत नहीं कर सकते । मेरा अनुरोध यही है कि अगर माननीय मुख्य मंत्री ५ दिन के प्रस्ताव को मान लें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो तीन दिन किसी भी हालत में नहीं होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष---तो इसका मतलब यह है कि कम से कम विचार ४ दिन होना चाहिये ?

श्री देवनारायण भारतीय---अध्यक्ष महोदय, माननीय गौरीशंकर राय तथा माननीय गेंदा सिंह का जो प्रस्ताव है उसका मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि कम से कम ५ दिन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---नियम में तो यह है कि साधारणतया ३ दिन विवाद होगा, असाधारण परिस्थिति में समय बढ़ाया जा सकता है ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि नियम में तीन दिन लिखा हुआ है, यदि माननीय राज्यपाल का भाषण लम्बा पढ़ा गया या कम पढ़ा गया लेकिन वह समाप्त तो हो ही गया और उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो इस प्रस्ताव का आंशिक रूप में समर्थन करते हुये मैं इतना कहना चाहता हूं कि तीन ही दिन देने चाहियें, लेकिन यदि तीन दिन में समाप्त न होने की बात हो तो फिर श्रीमन् जैसा उचित समझें कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---गिव ऐंड टेक (Give and take) की पालिसी से चार रोज होते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---(जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण सदैव एक घंटा होता था लेकिन इस बार डेढ़ घंटे का हुआ तो उसी अनुपात में जितना समय आप हमेशा देते थे उसका ड्योढ़ा कर दें, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---तो यह तय रहा कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर चार रोज विवाद हो ।

माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट यह पूछना चाहते थे कि इस हफ्ते का क्या कार्य-क्रम होगा। तो वह कार्य-क्रम स्पष्ट हो गया, यह विवाद अब २९ तारीख तक चलेगा। अब इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कष्ट नहीं देना चाहता ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने आज कोई महत्वपूर्ण विधेयक पुरःस्थापन के लिये सदन में रखा था तो मेरा निवेदन यह है कि सदन में जो भी विधेयक पुरःस्थापित हों, चूंकि उनकी एक एक लाइन को मेहनत से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट एक एक कामा और फुलस्टाप का इन्टरप्रिटेशन करता है, इसलिये उनकी प्रतियां यदि उपलब्ध हो जायं तो जो माननीय सदस्य उनको पढ़ना चाहें वे पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष---आपका कहना बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट प्रेस के चार्ज में जो मंत्री हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वह तकाजा करें ताकि विधेयक जल्दी छपकर आ जायं। अगर वह छपकर आ गये होते तो मैं आज ही बंटवा देता। अगर वह तकाजा कर दें और वह छपकर आ जायं तो कल ही पुरःस्थापित हो सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, बिजनेस कमेटी की तरफ से लिखा गया था कि हर विधेयक एक महीने पहले सदन में मिल जाना चाहिये और उसके बाद उस पर बिजनेस एलाटमेंट का कार्य होना चाहिये। इस सिलसिले में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उसका क्या जवाब दिया। सरकार एक महीना पहले उसको भेजने के लिये तैयार है या नहीं? अगर नहीं, तो उसके बारे में वह क्या सोचती है? क्या बिजनेस कमेटी के जरिये बिजनेस अलाट हुआ था?

श्री अध्यक्ष---एक महीने पहले बिल की कापी आ जानी चाहिये, ऐसा नहीं था। लेकिन यह था कि कौन-कौन कार्य लेंगे, यह पहले से सरकार बता दिया करें और जितनी जल्द हो सके बिल तैयार करके मेरे पास भेज दें जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह निश्चय कर सके कि किसी विधेयक में कितने रोज लगेंगे। अगर सरकार विधेयकों को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने नहीं रखना चाहती है तो वे सदन में ३ रोज पहले ही भेजेंगे क्योंकि सदन को कम से कम ३ रोज का नहीं रखना नोटिस होना चाहिये। यही नियम चलेगा।

(इसके बाद सदन २ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२५ जुलाई, १९६०।

पी० एस० यू० पी० ए०-पी०-१०० एल० ए०--१९६०--८४५।